



कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा।
Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Garhwa.
ईमेल / Email :- cfgarhwa@gmail.com / cf-garhwa@jharkhandmail.gov.in
दूरभाष / Phone :- 06562-222880, 8987790234



पत्रांक :- 146 गढ़वा/दिनांक :- 11.01.2023

प्रेषक,
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गढ़वा।

सेवा में,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- गढ़वा जिला अन्तर्गत Improvement of Curves and Safety Traffic Calming Measures at Annraj Ghati के निर्माण हेतु कुल 0.1404 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव सं०-FP/JH/123042/2021 के संबंध में।

प्रसंग :- (1) आपका ज्ञापांक-1212 दिनांक-30.11.2022
(2) वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल का पत्रांक-121 दिनांक-11.01.2023

महाशय,
उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र संदर्भ में विषयक परियोजना के मामले में वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल का पत्रांक-121 दिनांक-11.01.2023 द्वारा कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी पाँच प्रतियाँ इस पत्र के साथ अत्र-सह संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

R. K. Singh
11.01.23

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, गढ़वा।

R. K. Singh
11.01.2023



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल।

वन भवन कचहरी रोड, गढ़वा।
E-mail id :- dfo-garhwanorth@gov.in
Phone :- 06561-222237




पत्रांक :- 121

गढ़वा/दिनांक :- 11-01-2023

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल।



E-mail

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, गढ़वा।

विषय :-

गढ़वा जिला अंतर्गत Improvement of Curves and Safety Traffic Calming Measures at Annraj Ghati के निर्माण हेतु कुल 0.1404 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव सं०-FP/JH/123042/2021 के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक-1212 दिनांक-30.11.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा गढ़वा जिलान्तर्गत Improvement of Curves and Safety Traffic Calming Measures at Annraj Ghati के निर्माण हेतु कुल-0.1404 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव सं०-FP/JH/123042/2021 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक-FP/JH/Road/123042/2021/728 दिनांक-29.11.2022 में माँगी गई वांछित सूचना का अनुपालन कंडिकावार निम्नवत् है :-

कंडिका संख्या	पृच्छा	अनुपालन
I.	Detailed CA scheme of plantation of 470 trees with 7-10 years maintenance.	गढ़वा से अनराज घाटी तक NH-343 के किनारे 470 पौधों का क्षतिपूरक वनरोपण का detailed scheme अनुलग्नक-01 में संलग्न है तथा इसे ऑनलाईन parivesh portal के additional document के section में अपलोड कर दिया गया है।
II.	Certified copy of FRA certificates for 0.1404 ha. forest land along with consultations/ proceedings of Gram Sabhas, Sub-Divisional Level Committee & District Level Committee.	FRA के तहत निर्गत अनापत्ति प्रमाण तथा ग्राम सभा का Consultation, Sub-Divisional एवं District level समितियों का बैठक की कार्यवाही की सत्यापित प्रति अनुलग्नक-02 में संलग्न है तथा इसे parivesh portal के additional document के section में अपलोड कर दिया गया है।
III.	An employment generation is not	विषयक परियोजना के कार्यान्वयन में कोई

	mentioned in online application. It may be clarified.	Permanent Employment Generation नहीं होगा, बल्कि निर्माण कार्य के दौरान लगभग 3600 Casual mandays होंगे तथा इसे तत्संबंधी ऑनलाईन फॉर्म में प्रविष्टि कर दी गई है।
IV.	Kindly explain the legal status of the land of the abandoned portion of the road (the extreme curve portion which will be not in use for the road in the future) and the possibility for transfer the land to Forest Department.	Abandoned portion of road, the extreme curve portion which will be not in use for the road in the future के संबंध में कहना है कि वर्तमान के survey record में उक्त भूमि का Nature सड़क दिये हैं, जिसके कारण इसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रासंगिक उपबंधों में Statutory limitation के आधार पर वन भूमि के रूप में अधिसूचित नहीं किया जा सकता है। कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर (प्रयोक्ता अभिकरण) ने प्रतिवेदित किया है कि अगर भविष्य में अनुमान्य अधिनियम के तहत अगर Revised survey में उक्त भूमि का किस्म परिवर्तन (Waste land/Forest land) कर वन विभाग, झारखण्ड सरकार के नाम दर्ज करते हुए भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रासंगिक उपबंधों के तहत वन भूमि के रूप में अधिसूचित करने में कोई बाधा नहीं है। अभी वर्तमान में Abandoned भाग में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा, जिसकी विवरणी पाराग्राफ-1 में उल्लेखित है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

आपका विश्वासी

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल।

